236 (2) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों और प्रतिष्ठानों में अनुग्रही अदायगी जहां यथा संशोधित बोनस संदाय अधिनियम, 1965, वित्त वर्ष 1996-97 के लिए लागू नहीं होता।

बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के उपबंध (समय–समय पर यथा संशोधित) सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होते हैं जो धारा 20 में अनुबंधित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, साथ ही केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए, जिन पर यह अधिनियम इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि वह अधिनियम की धारा 20 में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, वित्त वर्ष 1996-97 के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को जो बोनस संदाय अधिनियम के क्षेत्र में आते हैं और साथ–ही–साथ उनके लिए जो बोनस संदाय अधिनियम की धारा 20 में अनुबंधित शर्तों को पूरा न करने के करण बोनस अधिनियम के क्षेत्र में नहीं आते हैं, वित्त वर्ष 1996-97 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बोनस संदाय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति बोनस/अनुग्रह राशि का भुगतान केन्द्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विनियमित करना चाहिए।

2. अब लोक उद्यमों का प्रबंधन, सरकार को विशेष संदर्भ लिए बिना, अपने कर्मचारियों को अधिनियम के उपबंधों के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु बोनस/अनुग्रह राशि वितरित करने के लिए तब तक प्राधिकृत हैं जब तक कि अधिनियम के भुगतान संबंधी उपबंध में संशोधन नहीं हो जाता।

3. यह भी स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के ऐसे कर्मचारियों के लिए जो 3500/– रूपये. मासिक से अधिक की मजदूरी/वेतन पाने के कारण बोनस अधिनियम 1965 जिसका संसद द्वारा अधिनियमन के जरिए 30.8.95 को संशोधन किया गया था के उपबंधों के अनुसार बोनस/अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए हकदार नहीं थे, को सा.क्षे. के उद्यमों द्वारा यथास्थिति बोनस या अनुग्रह राशि देय नहीं होगी।

4. किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को अनुग्रह राशि के भुगतान के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त बजट निधि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुग्रह राशि के संबंध में बोनस अधिनियम के उपबंधों या लो.उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्यकारी अनुदेशों के तहत केन्द्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपने कर्मचारियों को हकदारी राशि के अतिरिक्त तब तक कोई अनुग्रह राशि/मानदेय या पुरस्कर नहीं देंगे जब तक कि राशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विधिवत रूप से अनुमोदित प्रोत्साहन योजना के तहत प्राधिकृत न हो।

6. ये अनुदेश महानगर टेलीफोन निगम लिमिडेड पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि इस उद्यम के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा पृथक अनुदेश जारी किए जाएंगे जो उत्पादकता संबद्ध बोनस फार्मूले पर आधारित हैं जिसे दूरसंचार विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए बनाया गया है।

7. प्रशासकीय मंत्रालय/विभाग कृपया अपने प्रशासकीय नियंत्रण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उपर्युक्त के अनुसार सलाह दें।

(लो.उ.वि. का 20 नवम्बर, 1997 का कार्या.ज्ञा.सं. 2(22)/97–डी पी ई (डब्ल्यू सी)